अनवान प्रकाश कुमार V/S तहसीलदार समदड़ी
मुकदमा नंबर 183 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.11.24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित । तहसीलदार समदडी से मौका रिपोर्ट प्राप्त । वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 627/130 रकबा 1.0522 हैक्टयर भूमि ग्राम फूलण तहसील समदडी में आई हुई है जिसमें प्रार्थी का 1/7 हिस्सा बनता है विवादित भूमि शामलाती भूमि है। प्रार्थी के हकपूर्वाधिकारी के समय से उक्त खातेदारी खेत की भूमि में खसरा संख्या 476/126 से जुडती माठ पर प्रार्थी के कच्चे पक्के मकानात बने हुए जिस पर प्रार्थी का अनन्य कब्जा काश्त निर्विवाद कायम है, तहसील समदडी का सेग्रीगेशन कार्य करने के दौरान राजस्व कार्मिको द्वारा उक्त खसरे की तरमीम गलत कर दी। प्रार्थी द्वारा उक्त गलत तरमीम को दुरूस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। हमने प्रार्थी वकील की बहस पर मनन व पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरता से अवलोकन किया। तहसीलदार समदडी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम फूलण के मूल खसरा संख्या 130 से नये खसरा संख्या 627/130 व 629/130 बने व ग्राम फूलण के मूल खसरा सख्या 129 से खसरा संख्या 476/129 बना। खसरा सख्यां 627/130 के रकबा 0.7575 हैक्टयर व खसरा संख्या 476/129 का रकबा 0.4516 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है खसरा संख्या 629/130 के खातेदार का खसरा संख्या 627/130 पर कब्जा है खसरा संख्या 629/130 व 627/130 इसी अनुसार काबिज काश्त है। तहसीलदार समदडीकी रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 627/130 व खसरा संख्या 476/129 की सीमा व राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं हुई है। प्रार्थी ने ऐसे कोई साक्ष्य / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जिससे प्रतीत हो कि खसरा संख्या 627/130 व खसरा संख्या 476/130 की वर्तमान तरमीम गलत की हुई हो। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर खारिज किया जाता है। बाद फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Surendra Singh Khangarot Date: 2024.12.28 13:18:45 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)	